

2026:एएचसी-एलकेओ:21171-डीबी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट याचिका ए संख्या- 2969 वर्ष 2026**

भारत संघ द्वारा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं 3 अन्य
.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम
संख्या जेसी 701590एच पू० सूबेदार ओम बीर
.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बलबीर सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या -1

माननीय न्यायाधीश श्री राजन राय
माननीय न्यायाधीश श्री मंजीव शुक्ला

1. पक्षों की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. भारत संघ ने यह याचिका, सशस्त्र बल अधिकरण, क्षेत्रीय बेंच, लखनऊ द्वारा मूल आवेदन संख्या 1338 वर्ष 2023 में 30.05.2024 को दिए गए निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है।
3. यद्यपि, परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी, किसी भी पक्षकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के विवेकाधीन असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग बिना किसी देरी या लापरवाही के, पूरी तत्परता और लगन के साथ करना चाहिए। इस मामले में, यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा निर्णय सुनाए जाने के डेढ़ साल से भी ज़्यादा समय बाद दायर की गई है।
4. पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विलम्ब का कारण रिट याचिका के पैराग्राफ 4 और 5 में बताया गया है, जो इस प्रकार है:
"4. यह कि रिट याचिका दायर करने में जो देरी हुई है, वह जान-बूझकर नहीं की गई है, बल्कि यह प्रमाणिक और अकृत्रिम है, जो क्षमा योग्य है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बल अधिकरण ने 07.05.2024 को निर्णय सुनाया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 के स्तर पर मामले की जांच की गई, और यह जानकारी दी गई कि विकलांगता पेंशन/अवयव देने से जुड़े सभी मामले, सिवाय अमान्यीकरण/मानित अमान्यीकरण के मामलों के, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल के विचाराधीन थे। इस पर विचार किया जा रहा था कि क्या ऐसे आदेशों को लागू किया जाना है या उन्हें चुनौती देने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की आवश्यकता है। उचित विचार-विमर्श के बाद, अटॉर्नी जनरल ने 18.09.2023 को राय दी कि उन सभी आदेशों को चुनौती दी जानी चाहिए, जिनमें व्यक्तियों को सेवा की अवधि पूरी होने पर विकलांगता के कारण सेवामुक्त किया गया था जिन्हें "न तो सेवा जनित और न ही सेवा से उद्घीर्णित" (नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नार एग्जेक्टेड) श्रेणी के सेवानिवृत्ति मामलों में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की जानी थीं। इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने पत्र दिनांक 04.10.2023 द्वारा संस्तुति की कि ऐसे सभी आदेशों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी जाए। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 20.12.2024 द्वारा सभी संबंधित विधिक प्रकोष्ठों को निर्देश जारी किया गया कि वे सक्षम उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करें।

5. यह कि इसके बाद, कागजात संबंधित कार्यालयों के माध्यम से आगे बढ़ाए गए, और याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका तैयार करने के लिए माननीय उप सॉलिसिटर जनरल से मिले। यह निवेदन किया जाता है कि आवश्यक अभिलेख एकत्र करने, अधिवक्ता को जानकारी देने, और रिट याचिका का मसौदा तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगा। यह भी निवेदन किया जाता है कि सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाले समान मामलों की बड़ी संख्या के कारण, वर्तमान रिट याचिका को संसाधित करने और दायर करने में अतिरिक्त समय लगना अपरिहार्य था। इस प्रकार हुई देरी न तो इच्छित है और न ही साशय है, बल्कि यह प्रमाणिक और प्रक्रियात्मक प्रकृति की है। ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में, इस रिट याचिका को दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने की कृपा करे।"

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, देरी के विषय में और कुछ नहीं कहा गया है।

6. हमने अनुच्छेद संख्या 4 और 5 के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा है, और हमें मई 2024 में दिए गए एक निर्णय को चुनौती देने वाली इस रिट याचिका को दायर करने में कोई प्रमाणिकता, सत्यता या तत्परता नज़र नहीं आती। स्पष्टः, इस रिट याचिका में देरी और लापरवाही की कमियाँ हैं, ये ऐसे आधार हैं जिनके चलते रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग को अस्वीकृत कर सकती है। ऊपर उद्धृत परिच्छेद में बिना किसी तिथि या विवरण के, सिर्फ अस्पष्ट और सामान्य बातें कही गई हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से हुई इतनी बड़ी देरी और लापरवाही को छिपाने के एक दिखावटी प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। डेढ़ वर्षों से भी अधिक व्यतीत हो जाने के बाद इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का हमें कोई कारण नज़र नहीं आता। याचिकाकर्ता की ओर से हुई इतनी

बड़ी देरी और लापरवाही के बाद, प्रतिवादी को नोटिस जारी करके इस कार्यवाही का सामना करने के लिए विवश करना बेहद अनुचित होगा।

7. असल में, हमने पाया है कि कई ऐसी रिट याचिकाओं में, जिनमें विलम्ब का मामला है, शब्दशः एक सा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसी याचिकाएँ बिना सोचे-समझे यांत्रिक तरीके से दायर की जा रही हैं, और देरी के लिए दी गई सफ़ाई भी बस एक औपचारिकता मात्र है। इसी संदर्भ में, हम उन अन्य रिट याचिकाओं का भी उल्लेख करना चाहेंगे जो आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, जैसे रिट ए संख्या 2964/2026, रिट ए संख्या 2993/2026, और रिट ए संख्या 2974/2026। इस रिट याचिका के परिच्छेद संख्या 4 और 5 की तुलना, रिट ए संख्या 2964/2026 और 2993/2026 के परिच्छेद संख्या 4 और 5 से, तथा रिट ए संख्या 2974/2026 के परिच्छेद संख्या 5 और 6 से करने पर, हम पाते हैं कि उनमें लिखी बातें लगभग अक्षरशः एक जैसी हैं। यह याचिकाकर्ता के उपेक्षापूर्ण और अनुचित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

8. असल में, दूसरी इसी तरह की रिट याचिकाओं से जिनमें से कुछ को आज ही निरस्त कर दिया गया है, जैसे रिट ए संख्या 2993/2026, रिट ए संख्या 2974/2026, हमें पता चलता है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने ऐसे सभी आदेशों को चुनौती देने के लिए अपनी राय 18.09.2023 को दी थी, किन्तु याचिका वर्ष 2026 में प्रतुत कि गयी है।

9. ऊपर बताई गई बातों के आधार पर, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

23 मार्च, 2026
लोकेश कुमार

(न्यायाधीश श्री मंजीव शुक्ला) (न्यायाधीश श्री राजन राँय)